By Mail

SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(Government of India : Ministry of Home Affairs)
Shivrampalli, Hyderabad – 500 052

INTER OFFICE NOTE
(Establishment Section)

Subject: Notified Recruitments Rules - reg.

Copy of Recruitment Rules of 'Clerk' SVPNPA Canteen notified vide GSR No.48 dated 16.4.2021 (received by mail from MHA on 1.7.2021) is enclosed herewith with a request for uploading the same in Academy website under head "Recruitment Rules" please.

Encl: as above

2/7/21
(Dr K.P.A.Ilyas)
Assistant Director (Estt.)

Assistant Director (IT)

No. 19011/03/99/Estt/RRs/Clerk/Salesman/A5 Dated, the 2nd July, 2021.

Copy to :

IC, P2 Desk, Estt for necessary action to flll the vacancy/ies by promotion.

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-22042021-226718
CG-DL-W-22042021-226718

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 15] नई दिल्ली, अप्रैल 11 - अप्रैल 17, 2021, शनिवार/ चैत्र 21 - चैत्र 27, 1943
No. 15] NEW DELHI, APRIL 11 - APRIL 17, 2021, SATURDAY/ CHAITRA 21 -CHAITRA 27, 1943

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, कैन्टीन स्टॉफ भर्ती नियम, 2000 को जहां तक उनका संबंध लिपिक/सेल्समैन के पद से संबंधित है उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, लिपिक (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

2. ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह कारण को लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा	सीधे भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लिपिक	02* (2021) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तनीय	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स स्तर –2(रू. 19900–63200)	अचयन	18 से 27 वर्ष के मध्य (केंद्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक आयु सीमा में छूट दी जाएगी) टिप्पण–रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	आवश्यक : – a) मान्यता प्राप्त बोर्ड से वाणिज्य विषय में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। b) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति या हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए (35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट में प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी डिप्रेशन्स की औसत पर 10500 केडीपीएच या 9000 केडीपीएच के अनुरूप होनी चाहिए।) टिप्पण–1 अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा में सक्षम प्राधिकारी के

						विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण–2 अनुभव संबधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
नहीं	सीधी भर्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति अन्यथा सीधी भर्ती के लिए	प्रोन्नति :– वेतन मैट्रिक्स स्तर –1 (रू. 18000–56900/–) में न्यूनतम 3वर्षीय नियमित सेवा वाले विभागीय कैन्टीन परिचालक । टिप्पण 1 – इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरियट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट या भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी अन्य संस्थान से लिपिक के पद पर प्रोन्नति हेतु कैन्टीन परिचरों के लिए संगठनात्मक आचरण, संचार निपुणता और लेखा प्रक्रियाओं में एक दो सप्ताह का प्रशिक्षण वांछनीय होगा। टिप्पण 2 – जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता सेवी पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिये विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक /पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होने ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली

			है अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिये अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी की ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसका संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह – ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार हेतु) निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली – 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – सदस्य 3. प्रशासनिक अधिकारी,(ग्रेड–II या ग्रेड–III) सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद – सदस्य	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 23011/50/2018–पीटी]

डी.के.घोष, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 16th April, 2021

G.S.R. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Canteen Staff Recruitment Rules, 2000, in so far as they relate to the post of Clerk/Salesman except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Clerk in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Clerk (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, Other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Clerk	02* (2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs. 19,900- 63,200/-)	Non-selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(6)	(7)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit names. In case the post is advertised in Employment News or Newspaper, the crucial date for determining the age-limit shall be last date for receipt of applications from the candidates	**Essential:** (a) 12th class pass with Commerce from recognised Board; (b) typing speed of 35 w.p.m in English or 30 w.p.m. in Hindi on computer (35 w.p.m and 30 w.p.m correspond to 10500 Key Depression Per Hour/9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word). **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at he discretion of the competent authority for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Schedules Castes or Schedule Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidate belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
No.	Two years for direct recruits	By promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or by deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion: Departmental Canteen Attendants at least three years regular service in level- 1 in pay matrix (Rs. 18,000	**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-** (1) Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel	Not applicable.

– 56,900). **Note :** A two weeks training on organisational behaviour, communication skill and accounting practices shall be desirable for the Canteen Attendants for promotion to the post of Clerk from Institute of Secretariat Training and Management or any other institute recognised by the Government of India or the State Government. **Note . :** where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	National Police Academy, Hyderabad – Chairman; (2) Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member; (3) Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member. **Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (1) Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Chairman; (2) Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member; (3) Administrative Officer (Grade-II or Grade-III), Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad – Member.	

[F.No. 23011/50/2018-PT]

D K GHOSH, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 49.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग, (इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई और मल्टीग्राफ आपरेटर) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 को, जहां तक उसका संबंध इलेक्ट्रीशियन पद से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी में इलेक्ट्रीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी, बारापानी, शिलांग (इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियम 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह का संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।